न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 101/2022 (2022/129)

अपीलार्थीगण :–

1. श्रीमती रात्री पंवार पत्नी स्व0 गणपत सिंह, उम्र 49 वर्ष,
2. यज्ञा पंवार पुत्री स्व0 गणपत सिंह पत्नी श्री आयुष चौहान, उम्र 24 वर्ष,
3. प्रज्ञा पंवार पुत्री स्व0 गणपत सिंह, उम्र 22 वर्ष,
4. चंद्रदेव पंवार पुत्र स्व0 गणपत सिंह पंवार, उम्र 18 वर्ष, निवासीगण 429, द्वितीय पोलो, पावटा, जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–

1. मोहित गहलोत पुत्र कल्याण सिंह, जाति माली, निवासी 3541, पुनीत नगर, मण्डोर सेटेलाईट अस्पताल के पीछे, जोधपुर।
2. तहसीलदार जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 914 दिनांक 01.07.2019 ग्राम चैनपुरा जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया।

––––

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री राधेश्याम लोहिया (अपीलार्थीपक्ष)।
2. प्रत्यर्थीगण नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक :– 30.01.2023

अपीलार्थीपक्ष ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 914 दिनांक 01.07.2019 ग्राम चैनपुरा जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया, के विरूद्ध पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थीगण नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। प्रकरण से संबंधित मूल रेकर्ड तहसीलदार जोधपुर से प्राप्त किया गया। प्रकरण में अपीलार्थीपक्ष अधिवक्ता की बहस दिनांक 25.01.2023 को सुनी गई।

अपीलार्थीपक्ष के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम में बतलाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थीगण को होने पर अपीलार्थीगण ने जिस बेचाननामा के आधार पर नामान्तरकरण भरा गया। उसको

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:48:25 IST
Reason: SelfAttested

निरस्तीकरण बाबत् वाद जिला न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत किया तथा अपर जिला न्यायालय संख्या 07 जोधपुर महानगर द्वारा दिनांक 14.05.2022 को अपीलार्थीगण के हक में डिक्री किया गया तथा उक्त बेचाननामा को शून्य घोषित कर दिया। कार्यालय उप पंजीयक प्रथम, जोधपुर द्वारा उक्त बेचाननामा पर निरस्तीकरण का पृष्ठांकन किया गया तथा उसके बाद प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 04.10.2022 तहसीलदार जोधपुर को अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया, तहसीलदार जोधपुर ने नामान्तरकरण दर्ज करने से मना कर दिया। अतः अपील पेश करने तक जो न्यायिक कार्यवाही में समय लगा जो क्षमा योग्य होने से अपील को अन्दर म्याद शुमार फरमावें।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलार्थीगण की कृषि भूमि वाके ग्राम चैनपुरा के खसरा नं0 106 से 108, 127 से 133, 136, 139, 140, 142 से 145 कुल खसरा 17 कुल रकबा 11.14 बीघा की सरहद में आई हुई है। उपरोक्त खसरों की भूमि में से 16 बिस्वा भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा धोखाधड़ी पूर्वक बेचान इकरारनामा, आम मुख्त्यारनामा प्राप्त कर बिना प्रतिफल अदा किये विधि विरूद्ध तरीके से बेचाननामा दिनांक 24.05.2019 को पंजीबद्ध करवा दिया जो कार्यालय उप पंजीयक प्रथम, जोधपुर के यहां पुस्तक संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 821, पृष्ठ संख्या 144, क्रम संख्या 201903551105688 पर पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त बेचान के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज किया गया से व्यथित होकर यह अपील पेश की है।

अपीलार्थीपक्ष ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि अपीलार्थीगण ने उपरोक्त धोखाधड़ी से किये गये बेचाननामा को निरस्त करने एवं उक्त बेचाननामें के परिणामस्वरूप की गई समस्त अग्रिम कार्यवाहियों को निरस्त करने बाबत् एक दावा जिला न्यायालय जोधपुर में पेश किया। जो अपर जिला न्यायालय संख्या 07 जोधपुर महानगर में स्थानान्तरित किया गया जो दिवानी मूल वाद संख्या 13/2022 एन सी वी संख्या 20/2022 बअनवान श्रीमती रात्रि पंवार वगैरा बनाम मोहित गहलोत वगैरा के नाम दर्ज हुआ एवं बाद सुनवाई दिनांक 14.05.2022 को डिक्री किया जाकर उक्त बेचाननामा दिनांक 24.05.2019 को निरस्त कर दिया गया। डिक्री की पालना में उप पंजीयक प्रथम जोधपुर द्वारा उक्त असल बेचाननामा एवं राजस्व रिकॉर्ड में उक्त बेचाननामा निरस्त किये जाने का पृष्ठांकन अंकित कर दिया गया। इस प्रकार उक्त डिक्री के प्रभाव से दिनांक 24.05.2[illegible] बेचाननामा एवं उसके पश्चात् उक्त बेचाननामें के आधार पर की गई समस्त कार्यवाहियां कानूनन निरस्त व शून्य हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:48:25 IST
Reason: SelfAttested

चुकी है। उक्त बेचाननामा के आधार पर स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण भी निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमावें।

अपीलार्थीपक्ष अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि दिनांक 04.10.2022 को न्यायालय की डिक्री के आधार पर अपीलान्ट द्वारा उक्त बेचाननामें के आधार पर स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त कर स्वयं के नाम से पुनः नामान्तरकरण दर्ज करवाने बाबत् एक प्रार्थना–पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के यहां प्रस्तुत किया परन्तु रेस्पो0 संख्या 02 ने अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त करने तथा अपीलार्थीपक्ष के पक्ष में नामान्तरकरण करने से मना कर दिया। अपीलार्थीगण के पास उक्त अपील प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहा। बहस के अन्त में अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त कर अपीलार्थीगण के पक्ष में पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करने के निर्देश देने की प्रार्थना की।

हमने अपीलान्ट अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रत्यर्थीपक्ष/अप्रार्थीपक्ष की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं करने, न ही काउन्टर शपथ–पत्र पेश किया गया। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए अपील में हुए विलम्ब को क्षम्य (Condone) किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार करते हुए गुणावगुण पर निर्णय इस प्रकार किया जा रहा है।

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल नामान्तरकरण व अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 24.05.2019 जो उप पंजीयक कार्यालय प्रथम जोधपुर की पुस्तक संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 821 के पृष्ठ संख्या 144 के क्रम संख्या 201903051105688 पर पंजीबद्ध है उसके आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उस बेचाननामा को न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 07 जोधपुर महानगर द्वारा दिनांक 14.05.2022 को जरिये डिक्री के निरस्त, शून्य व विधि विरूद्ध घोषित किया गया। जिस बेचाननामा के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया था उस बेचाननामा को न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 07 जोधपुर महानगर द्वारा निरस्त किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 91 दिन. 01.07.2019 ग्राम चैनपुरा जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:48:25 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त किया जाकर तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण आदेश की प्रति के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 30.01.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:48:25 IST
Reason: SelfAttested